न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 176 / 2024
GCMS NO. 2024/341

1. दलीप सिंह पुत्र रामलाल उम्र 55 साल
2. निहाल सिंह पुत्र रामलाल उम्र 45 साल
3. सुखाड़ीलाल पुत्र रामलाल उम्र 48 साल
4. संजय पुत्र रामलाल उम्र 30 साल
5. शरबती पत्नी रामलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज०)

..................प्रार्थीगण / आवेदकगण

— ब ना म —

1. लीलाधर पुत्र रामकुमार उम्र 55 साल जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. किरण पुत्री श्रीचन्द पत्नी रहिश जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० हाल आबाद राठियों की ढाणी त0 सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3. जले सिंह पुत्र श्रीचन्द उम्र 40 साल जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. बिमला पत्नी श्रीचन्द जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. सुनिता पुत्री श्रीचन्द पत्नी सज्जन जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० हाल आबाद राठियों की ढाणी तह. सुरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
6. नोरंगलाल पुत्र पाला उर्फ पालाराम उम्र 60 साल जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. रोहिताश्व पुत्र पाला उर्फ पालाराम जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
8. श्योनाथ पुत्र पाला उर्फ पालाराम जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
9. शीशराम पुत्र पाला उर्फ पालाराम जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
10. सुमेर कुमारी पुत्री पाला उर्फ पाला[illegible] जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद [illegible] तह. सुरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
11. प्रभुदयाल पुत्र महादा जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

12. बीरबल पुत्र महादा जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
13. मनीराम पुत्र महादा जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
14. महेन्द्र पुत्र महादा जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
15. बजरंग पुत्र पोकर जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
16. शुभराम पुत्र पोकर जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
17. इन्द्राज पुत्री हीरा उम्र 85 साल जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
18. सन्तरो पत्नी शेरसिंह उम्र 60 साल जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
19. राजेश कुमार पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
20. मुकेश कुमार पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
21. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
22. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बनवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

.............अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायमी

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश चौधरी	अभिभाषक	प्रार्थीगण/आवेदकगण
2. श्री रजनीश गजराज		
3. श्री सुरेन्द्र मानपुरा	अभिभाषक	अप्रार्थी सं. 1, 17 से 20
4. श्री प्रविन्दर सिंह शेखावत		

–: <u>निर्णय</u> :–   दिनांक :– 02.06.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.07.2024 को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाके ग्राम महराना तहसील बुहाना स्थित [illegible] ख० न० 488 रकबा 0.03 है० ख० न० 489 रकबा 0.05 है० ख० न० 490 [illegible] 493 है0 ख० न० 119 रकबा 3.47 है० ख० न0 221 रकबा 0.30 है० कुल किता 5 कुल रकबा 8.78 है0 के खातेदार कास्तकार आवेदकगण है उसको काश्त करते आ रहे है फसल काटते

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

व लाटते है तथा ख० न0 490 में कुप भी बना रखा है अपनी भूमि कास्त करते हैं तथा उसी भूमि में आवेदकगण मकान बनाकर आबाद है।

2. यह कि आवेदकगण की भूमि ख० न0 490 के पश्चिम में ख० न0 478 रकबा 7.66 है0 जिसके खतोदार कास्तकार अना० स० 1 ल० 16 दर्ज रिकार्ड है तथा इसी तरह आई भूमि ख० न० 490 के पश्चिम में ख० न0 481 रकबा 2.53 है0 तथा ख० न० 479 रकबा 0.05 स्थित है जिसके खातेदार कास्तकार अना० सं० 17 ल० 20 है।

3. यह कि ग्राम महराना स्थित भूमि ख० न० 479, 481 जिसके खातेदार कास्तकार अना० स० 17 से 20 है तथा ख० न0 478 जिसका खातेदार अना० स० 1 से 16 है इनके पश्चिम में एक कटानी रास्ता उतर से दक्षिण को जाता है उक्त रास्ता व आवेदकगण की भूमि ख० न० 490 के मध्य अना० स० 1 से 20 की भूमि ख० न0 481, 479 तथा 478 स्थित है।

4. यह कि आवेदकगण की भूमि ख० न० 490 रकबा 4.93 है0 में उक्त भूमि को कास्त करने फसल काटने लाटने के लिए कोई रास्ता नहीं है ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था रास्ते की है उक्त भूमि के लिए आवेदकगण को रास्ते की आवश्यकता है।

5. यह कि आवेदकगण की भूमि ख० न० 490 रकबा 4.93 है0 के पश्चिम में ख० न० 481, 479 एवं 478 की सीमा पर से पश्चिम में स्थित रास्ते तक 12 फुट चौड़ा रास्ता की आवेदकगण को आवश्यकता है जिससे की आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि में प्रवेश कर सके फसल कास्त कर सके एवं फसल की उपज को काटने लाटने के लिए जा सके। तथा मोटर खराब होने पर उसको ठिक करवाने के लिए गाडी वगैरा ले जा सके। तथा अपनी भूमि में आवागमन कर सके। तथा आवेदकगण की भूमि ख० न0 490 के लिए पश्चिम दिशा से रास्ते तक पहुंचने के लिए सुगम व स्थल एवं नजदीक ख० न0 481, 479 व 478 की मेड के सहारे सहारे दोनों तरफ से 6–6 फुट चौड़ाई यानि 12 फुट रास्ता की आवश्यकता है आवेदकगण उक्त रास्ते के काम में आने वाली भूमि बाबत नियमानुसार डी.एल.सी. रेट की दुगुनी या जो भी न्यायालय आदेश देगे उक्त राशि का भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है।

6. यह कि आवेदकगण आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत कर रहे है जिसमें मार्क ए, बी, सी, डी से रास्ते को दर्शाया गया है जो आवेदकगण की भूमि ख० न० 490 से पश्चिम में स्थित रास्ते तक जाता है जिसकी आवेदकगण को रास्ते की आवश्यकता है जो ख० न० 479, 481 [illegible] चौड़ा दिया जावे व ख० न० 478 में से दिया जाना सबसे [illegible] है।

7. यह कि ख० न0 478 के खातेदा[illegible] 16 आवेदकगण के परिवार के ही सदस्य है तथा पूर्व में आवेदक ख० न० 478 [illegible] उतरी मेड के सहारे सहारे अपनी भूमि ख0न0 490 के पश्चिम में स्थित रास्ता तक ख० न० 478 की उतरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

मेड के सहारे सहारे आवागमन करते है लेकिन अब अनावेदकगण जबरन तारबाड़ कर दी है जिसकी वजह से आवेदक को उक्त आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तथा अब अनावेदकगण द्वारा मना किये जाने से आवेदकगण की भूमि तक जाने के लिए रास्ता नहीं है।

8. यह कि आवेदक की भूमि ख० न0 490 के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं होने से आवेदकगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

9. यह कि आवेदन पत्र के लिए आधार विवाद आवेदन पत्र में वर्णित भूमि ख० न0 490 रकबा 4.93 है0 मे फसल कास्त करने फसल काटने लाटने के लिए रास्ता नहीं होने व अनावेदकगण द्वारा सहमति से अथवा करार से रास्ता नहीं देने से पैदा हुआ है।

10. यह कि भूमि ख० न0 490 व 479, 481 478 ग्राम महराना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने से यह आवेदन पत्र बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

11. यह कि कुछ खातेदारों ने अना० स० 21 व 22 से ऋण ले रखा है इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया है।

12. यह कि आवेदन पत्र 2 रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

13. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक स० 2 का शपथ पत्र संलग्न है।

14. **अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) वाके ग्राम महराना तहसील बुहाना में स्थित भूमि ख० न० 490 रकबा 4.93 है० के लिए ख० न० 479, 481, के दक्षिण में तथा ख० न० 478 की उतरी मेढ के सहारे सहारे सीमा पर से दोनों तरफ 6–6 फुट चौड़ाई में पश्चिम में स्थित रास्ते तक जिसको नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है तक दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश अना० स० 23 को दिया जाकर मौके पर उक्त रास्ता कायम किये जाने के आदेश अना० स० 23 को दिलाये जाने की कृपा करे।

15. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 16, 21 से 22 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 17 से 20 की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर इनका जवाब अवसर बन्द किया गया।

16. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 21.05.2025 को इस आशय का जवाब पेश हुआ कि :–

17. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 1 रिकार्ड से सम्बन्धित जानकारी है जो कि स्वीकार है तथा प्रार्थी के मकान हामी भी स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

18. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या–2 रिकॉर्ड से सम्बन्धित है जो कि स्वीकार है।

19. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या–3 रिकॉर्ड से सम्बन्धित है जो कि स्वीकार है।

20. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख–4 गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है। उक्त वैकल्पिक रास्ता 1 या 2 नही है। बल्कि प्रार्थीगण के पास तीन वैकल्पिक रास्ते है। जो कि खातेदारी भूमि में अंकन नही है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 478 के मेड से कभी भी आना जाना नहीं किया है तथा यह रास्ता प्रार्थी से दूर भी हैं। नजरि नक्शे के अन्दर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 490 की उत्तरी मेड पर बसा हुआ है तथा खसरा नम्बर 481 के मौके पर टुकड़े कर रखे है तथा खसरा नम्बर 481 के मध्य में 481 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 20 ने मौके पर मकान भी बना रखे है तथा अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 20 अपने मकानो तक आना जाने के लिए खसरा नम्बर 481 के मध्य से पूर्व से पश्चिम की तरफ करते है। जो कि प्रार्थी के मकान से बिलकुल सीधा पड़ता है। जिसकी दूरी उक्त महज लगभग 100 या 125 मीटर हैं। इसालिए प्रार्थी ने उक्त रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 को परेशान करने के लिए किया है। प्रार्थी संख्या–1 उक्त मुकदमें से काफी परेशान है। क्योंकि भूमि खसरा नम्बर 478 के उत्तरी मेड के सहारे–सहारे अप्रार्थी संख्या–1 का कब्जा है। जिसको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ही यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश किया है।

21. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 5 गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 481 के मध्य से जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 17 लगायत 20 के मकान बना रखे है सहारे आता जाता रहता है तथा खसरा नम्बर 481 के उतरी तरफ जहाँ पर मौके पर मुर्गाफार्म है वहीं से भी प्रार्थी अपना आना–जाना करता रहता है। जो कि प्रार्थी के सबसे नजदीक है। प्रार्थी को वही से यानि खसरा नम्बर 481 के मध्य से प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 20 के घरों (मकानो के समीप से या मुर्गा फार्म के पास रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।) तथा उक्त रास्ता नजदीक भी है तथा छोटा भी है।

22. यह कि प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण का नजरिया नक्शा जो कि प्रार्थना पत्र के साथ दर्शाया हैं। वह गलत है जो कि अस्वीकार है।

23. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या–7 गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी ने कभी भी भूमि खसरा नम्बर 490 से आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 478 की उत्तरी मेड व खसरा नम्बर 481 व 479 की दक्षिणी मेड से कभी से आना जाना नहीं किया है।

24. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 8 गलत होने के कारण स्वीकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

25. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 9 गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 490 में जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 481 के मध्य में बने मकानों के समीप से व खसरा नम्बर 481 के उत्तर में बने मुर्गा फार्म से प्रचलित रास्ते आता जाता रहता है। प्रार्थी को वर्तमान में आने जाने में कोई बाधा नहीं है।

26. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या–10 कानूनी है जिसके उत्तर की कोई आवश्यकता नही है।

27. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या–11 कानूनी है जिसके उत्तर की कोई आवश्यकता नही है।

28. प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या–12 कानूनी है जिसके उत्तर की कोई आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावें।

–: अतिरिक्त उत्तर :–

29. यह कि प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण का उद्देश्य अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 को परेशान करने के लिए उक्त झूठा व बेबुनियाद मुकदमा पेश किया है। प्रार्थीगण के पास वर्तमान में रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 481 के मध्य से अप्रार्थीगण संख्या 17 लगायत 20 के मकानो से जाना–जाना करता रहता है तथा खसरा नम्बर 481 के उत्तरी तरफ बने मुर्गा फार्म के समीप से भी प्रार्थी अपना आना जाना करता है। उक्त दोनो रास्ते प्रार्थी के सबसे नजदीक भी है जिनकी दूरी लगभग 100 या 125 मीटर के आस पास ही है। जबकि भूमि खसरा नम्बर 478 की उत्तरी मेड से रास्ता भी लगता है। जो के सबसे लम्बा भी होगा क्योंकि प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 490 की उत्तरी मेड पर अपने मकान बना रखे है। जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आस पास में पड़ती है।

30. यह कि अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 20 ने अपने मकानों में आने जाने के लिए भी वर्तमान में खसरा नम्बर 481 के पश्चिम से स्थित रस्ते में से एक रास्ता खसरा नम्बर 481 के मध्य से उत्तर से दक्षिण की रतफ छोड़ रखा है। जो कि प्रार्थी को बिलकुल सीध में पड़ता है तथा दूसरा रास्ता मुर्गी फार्म के पास से है तथा अन्य रास्ता भूमि खसरा नम्बर 481 के बीचो–बीच में से और तथा एक नया रास्ता खसरा नम्बर 481 में से ही न्यायालय श्रीमान ओर काट देती है तो खसरा नम्बर 480 में चार रास्ते मौके पर विधमान हो जायेगा जिससे खेती करने में भी दुविधा होगी इसलिए प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 48[illegible] कि अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 20 के मकानों के समीप [illegible] जाकर खसरा नम्बर 480 में रास्ता भी कम हो जा[illegible] 481 में अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 20 तो जाते ही है तथा प्रार्थी भी उक्त [illegible]स्ते से अपना आना जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

कायम रहे तो अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 20 को उक्त भूमि का मुआवजा भी मिल जायेगा तथा अप्रार्थी व प्रार्थी दोनों को रास्ता भी मिल जायेगा।

31. तहसीलदार बुहाना से उनके पत्रांक पृ.क./2025/750 दिनांक 10.03.2025 से मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भू.अ.निरीक्षक वृत्त सांगलोद दिनांक 23.02.2025 प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है :-

32. आवेदक द्वारा वाके ग्राम महरामा स्थित भूमि खसरा नम्बर 490 रकबा 4.93 हेक्टेयर में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 479 व 481 के दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 478 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है। रास्ते की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न है।

33. आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता के जो रास्ता सबसे सुलभ एवं नजदीक है। वह रास्ता मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के आवेदक द्वारा चाहा गया खसरा नम्बर 479 व 481 के दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 478 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे वाला ही है। इसके अलावा कोई अन्य सुलभ एवं नजदीक का रास्ता नहीं बनता। प्रस्तावित रास्ते के चारों तरफ के खसरा नम्बरों को नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है। नक्शा ट्रेस संलग्न है।

34. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनो का अभाव सिद्ध होता है। क्योंकि मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के उक्त रास्ता सबसे सुलभ व नजदीक है।

35. प्रस्तावित रास्ता 04 मीटर चौड़ा होगा जो खसरा नम्बर 479 व 481 के दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे 02 मीटर चौड़ा व खसरा नम्बर 478 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 02 मीटर चौड़ा होगा। प्रस्तावित रास्ता बिन्दु संख्या **ए** से शुरू होकर आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 490 बिन्दु संख्या **बी** तक पहुंचता है। रास्ते को सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। मार्ग में उक्त रास्ता निकटतम व लघुतम है। नक्शा ट्रेस संलग्न है।

36. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 479 में 02 मीटर चौड़ा व लम्बाई में 10 मीटर होगा जिसका क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर बनता है तथा खसरा नम्बर 481 में 02 मीटर चौड़ा व लम्बाई में 122 मीटर होगा जिसका क्षेत्रफल 244 वर्ग मीटर बनता है तथा खसरा नम्बर 478 में 02 मीटर चौड़ा व लम्बाई में 132 मीटर होगा जिसका क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर बनता है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 20+244+264=528 वर्ग मीटर बनता है। अर्थात 0.0528 हेक्टेयर बनता है। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. के दुगुने में राशि कुल 01,07,606/– रूपये (एक लाख सात हजार छः सौ छः रूपये मात्र) बनते है।

37. प्रस्तावित रास्ते के लिए अवधारित भूमि में स्थित एक वृक्ष खेजड़ी (जाटी) को हटाने के कारण एक पेड़ का नुकसान भी होगा।

38. प्रार्थीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2075–2078 खाता संख्या नया 49, 125 व नकल नक्शा ट्रेस सन् 1977–78 राजस्व ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

महराना पेश हुये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पटवारी नक्शा पेश हुआ। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई।

39. अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

40. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, पत्रावली दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र के अभिकथनों व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

41. **विचारणीय बिन्दु** :- क्या प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत पोषणीय है ?

42. धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने के अधिकार प्रदत्त करती है। प्रार्थीगण भी एक खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की भूमि से रास्ते की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 251 (क) के उपबन्धों को लागू करने के लिए बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बुहाना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/750 दिनांक 10.03.2025 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 23.02.2025) से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थीगण को अपनी जोत (हॉलिंग) खसरा नम्बर 490 रकबा 4.93 हेक्टेयर में पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है एवं विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव है। प्रार्थीगण के पास प्रस्तावित नवीन/नये रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा नम्बर 490 रकबा 4.93 हेक्टेयर में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 478, 479, 481 ग्राम महराना में से प्रस्तावित (नजरी नक्शा में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम एवं लघुतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर बनता है।

43. प्रार्थीगण के द्वारा अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत ही हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। अधिनियम की उक्त धारा एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने दोनों ही अधिकार प्रदत्त करती है।

44. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधान बखूबी लागू होने से प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये वांछित रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

—: आदेश :—

45. अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना दिनांक 10.03.2025 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 23.02.2025) के प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम **महराना** पटवार हल्का खानपुर तहसील बुहाना स्थित प्रार्थीगण की एकांकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 490 रकबा 4.93 हेक्टेयर में आने जाने के लिए राजस्व ग्राम महराना पटवार हल्का खानपुर तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी संवत 2075—2078 के हाल खाता संख्या 125, 128 के अप्रार्थी संख्या 1 से 20 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 478, 479, व 481 में से नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 23.02.2025 **(प्रदर्श—"अ")** में लाल स्याही से अंकितानुसार बिन्दु संख्या A से B तक रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 479 में चौड़ाई में 02 मीटर व लम्बाई में 10 मीटर क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर, भूमि खसरा नम्बर 481 में चौड़ाई में 02 मीटर व लम्बाई में 122 मीटर क्षेत्रफल 244 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 478 में चौड़ाई में 02 मीटर व लम्बाई में 132 मीटर क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकर की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC 10,19,000/— रूपये (अधिकतम) की दर से रकबा 528 वर्ग मीटर भूमि की दुगुनी राशि 01,07,610/— रूपये (अक्षरे एक लाख सात हजार छः सौ दस रूपये) प्रार्थीगण तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा करवायेगें। तहसीलदार बुहाना खसरा नम्बर 478, 479, 481 के खातेदार/अप्रार्थीगण को प्रतिकर की राशि 01,07,610/— रूपये प्रभावित क्षेत्रफल/हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। तद्नुसार भूमि खसरा नम्बर 478, 479, 481 के रकबा में से रास्ते की बाबत 528 वर्ग मीटर (0.0528 हेक्टेयर) भूमि निर्वापित कर रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म **"गैर मुमकीन रास्ता"** के रूप में राजकीय खाता संख्या 1 में अभिलिखित करेगें। उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। **प्रदर्श—"अ"** इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। जांच रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के दायरे में 1 पेड़ खेजड़ी का प्रभावित होगा। अतः उक्त पेड़ का अनुमानित मूल्य अधिकतम 6,000/— रूपये (अंकेही छः हजार रूपये) निर्धारित किया जाता है। यह राशि भी प्रार्थीगण तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा करवायेगें। तहसीलदार बुहाना संबंधित खातेदार/अप्रार्थीगण को 6,000/—रूपये प्रभावित क्षेत्रफल/हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकीन रास्ता कायम होने के पश्चात उक्त पेड़ को मौके से हटाकर मजमे आम में निलामी के उपरान्त प्राप्त राजस्व को राजकोष में जमा करवाने की तहसीलदार बुहाना को अनुमति प्रदान की जाती है।

46. निर्णय आज दिनांक **02.06.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)